जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकःएस.सी / एस.टी.प्रकोष्ठ / 2011 / 496 दिनांक 13/7/2011

प्रति,
विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक,
समस्त अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषय – छात्रवृति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने बाबत्।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय में लेख है कि सत्र 2011–12 की छात्रवृति के संबंध में आदिमजाति कल्याण विभाग से प्राप्त कार्य योजना के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है कि अनुसूचित जाति / जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं से नवीन / नवीनीकरण छात्रवृति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरवाकर दिनांक 31.07.2011 तक एस.सी.एस.टी प्रकोष्ठ में अनिवार्यतः जमा करावें। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।

इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि पूर्व सत्र में प्राप्त हुए छात्रवृति के कुछ आवेदन–पत्रों में मूल निवास प्रमाण–पत्र, अनुविभागीय अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण–पत्र, अंक सूचियों की प्रति तथा आय के संबंध में छात्र के पिता की आय का प्रमाण–पत्र संलग्न न होने के साथ ही संबंधित कोर्स की शिक्षण शुल्क (दो सेमेस्टर) में कॉशनमनी को भी सम्मलित कर, फीस अंकित कर दी गई थी जिस कारण छात्रवृति कार्य में अत्यधिक परेशानी उत्पन्न होने के साथ ही छात्रवृति स्वीकृती में भी काफी बिलम्ब हुआ।

अतः आपको इस संबंध में सूचित किया जाता है कि छात्रवृति आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों की जांच कर ही इस कार्यालय की ओर भेजें। **फीस ब्यौरा में कॉशनमनी या अन्य रिफनडेवल फीस को सम्मलित न करते हुए स्पष्ट लिखा जावे कि उक्त फीस में कॉशनमनी / रिफनडेवल सम्मलित नहीं की गई है।** उक्त दिशा निर्देशों के उपरान्त भी यदि आपके द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्रों में फीस की जानकारी सही अंकित नहीं की जाती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

13/7

प्रभारी
अनु.जाति / जनजाति प्रकोष्ठ